

# NEXT IAS

## दैनिक संपादकीय विश्लेषण

विषय

---

COP29, जलवायु वित्त और भारत का सतत  
विकास का मार्ग

---

[www.nextias.com](http://www.nextias.com)

## COP29, जलवायु वित्त और भारत का सतत विकास का मार्ग

### सन्दर्भ

- जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के तहत पार्टियों के 29वें सम्मेलन (COP29) ने वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में जलवायु वित्त की केंद्रीयता को रेखांकित किया है।
- COP29 में प्रस्तुत 'जलवायु वित्त की महत्वाकांक्षा बढ़ाना और वितरण में तेजी लाना' रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर, विशेष रूप से उभरते बाजारों और विकासशील देशों (EMDCs) के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण वित्तीय निवेशों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है।

### रिपोर्ट की मुख्य बातें

- **बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता:** रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए 2030 तक प्रति वर्ष 6.3-6.7 ट्रिलियन डॉलर के महत्वपूर्ण वैश्विक निवेश की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है।
- **EMDCs का महत्वपूर्ण भार:** उभरते बाजार और विकासशील देशों (EMDCs), चीन को छोड़कर, एक बड़े वित्तीय भार का सामना करते हैं, जिसके लिए वार्षिक 2.3-2.5 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता होती है।
- **असमान वितरण:** वर्तमान में, जलवायु निवेश भारत और ब्राजील जैसी विशिष्ट अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रित हैं।
- **गैर-पारंपरिक स्रोत:** रिपोर्ट वित्तपोषण अंतर को समाप्त करने में स्वैच्छिक कार्बन बाजार, दक्षिण-दक्षिण सहयोग और विशेष आहरण अधिकार (SDRs) जैसे गैर-पारंपरिक वित्तपोषण स्रोतों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालती है।
- **घटती प्रौद्योगिकी लागत:** सौर ऊर्जा की घटती लागत विकासशील देशों के लिए स्वच्छ ऊर्जा में संक्रमण के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करती है।
- **चीन से आपूर्ति में वृद्धि:** नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का उत्पादन करने की चीन की बढ़ती क्षमता विकासशील देशों में स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को और तेज कर सकती है।

### वैश्विक कार्बन क्रेडिट परिचर्चा में प्रमुख मुद्दे

- **समानता और निष्पक्षता:** विकासशील देशों का तर्क है कि उन्होंने ऐतिहासिक रूप से कम ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन किया है और उन्हें विकसित देशों के समान भार नहीं उठाना चाहिए।
- **वित्त तक पहुँच:** विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने और कम कार्बन अर्थव्यवस्थाओं में संक्रमण के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। कार्बन क्रेडिट बाज़ार वित्तपोषण का स्रोत प्रदान कर सकते हैं, लेकिन न्यायसंगत पहुँच और निष्पक्ष वितरण महत्वपूर्ण हैं।
- **ग्रीनवाशिंग से बचना:** यह सुनिश्चित करना कि कार्बन क्रेडिट वास्तविक और अतिरिक्त उत्सर्जन में कमी दर्शाते हैं, "ग्रीनवाशिंग" को रोकने के लिए आवश्यक है, जहाँ परियोजनाएँ उत्सर्जन में कमी का दावा करती हैं जो वैसे भी होती।
  - **ग्रीनवाशिंग:** कम गुणवत्ता वाले कार्बन क्रेडिट से अतिरिक्त उत्सर्जन में कमी हो सकती है।
- **सख्त मानक:** कार्बन क्रेडिट की अखंडता को बनाए रखने और दोहरी गणना से बचने के लिए सख्त मानक और सत्यापन प्रक्रियाएँ आवश्यक हैं।

## COP29 में भारत का रुख

- **वित्तीय प्रतिबद्धता:** भारत विकसित देशों से जलवायु वित्त में उल्लेखनीय वृद्धि का समर्थन कर रहा है, विशेष रूप से 2030 तक प्रति वर्ष 1.3 ट्रिलियन डॉलर की मांग कर रहा है।
- **कोई शर्त नहीं:** भारत इस बात पर बल देता है कि यह वित्तीय सहायता बिना किसी शर्त के प्रदान की जानी चाहिए जो विकासशील देशों की आर्थिक वृद्धि में बाधा डाल सकती है।
- **यथास्थिति को चुनौती देना:** भारत जलवायु वित्त की स्पष्ट परिभाषा के लिए बल दे रहा है और विकसित देशों से परे दाता आधार का विस्तार करने के प्रयासों का विरोध कर रहा है।
- **पिछली प्रतिबद्धताओं के लिए जवाबदेही:** भारत विकसित देशों को उनकी पिछली प्रतिबद्धताओं, विशेष रूप से 100 बिलियन डॉलर के वार्षिक जलवायु वित्त लक्ष्य की याद दिला रहा है और कमी को उजागर कर रहा है।

## भारत का कार्बन क्रेडिट ढांचा

- **ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2022:** इस संशोधन के माध्यम से भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (CCTS) के लिए विधायी ढाँचे को औपचारिक रूप दिया गया:
  - भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) के साथ संरेखित करता है।
  - पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नियामक निरीक्षण के साथ एक संरचित कार्बन बाजार की स्थापना करता है।
- भारत का कार्बन बाजार निम्नलिखित की आकांक्षा रखता है:
  - **सतत विकास को बढ़ावा दें:** कार्बन लागत को आंतरिक बनाकर, व्यवसायों को हरित प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
  - **निवेश आकर्षित करें:** घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों, नवीकरणीय ऊर्जा एवं कम कार्बन प्रौद्योगिकियों के लिए।
  - **ग्रामीण और कृषि वानिकी क्षेत्रों का समर्थन करें:** इन पहलों के माध्यम से उत्पन्न कार्बन क्रेडिट सीधे स्थानीय समुदायों को लाभान्वित कर सकते हैं जबकि कार्बन पृथक्करण को बढ़ा सकते हैं।
- भारत के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP) को निम्न कारणों से आलोचना का सामना करना पड़ा है:
  - गैर-वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जैसे सीमित पारिस्थितिक लाभ वाले वृक्षारोपण पहल।
  - अतिरिक्तता सुनिश्चित करने में चुनौतियाँ - क्या परियोजनाएँ वास्तव में व्यवसाय-सामान्य परिदृश्यों से परे उत्सर्जन में कमी लाती हैं।
- **अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखण:** अंतरराष्ट्रीय निवेश आकर्षित करने और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए भारत के कार्बन बाजार को वैश्विक ढाँचे के साथ संरेखित होना चाहिए:
  - अनुच्छेद 6 के साथ सामंजस्य
  - ITMOs में भागीदारी वैश्विक कार्बन बाजार में भारत की भूमिका को बढ़ा सकती है।
  - अनुच्छेद 6.2 की आवश्यकताओं का पालन करने से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के क्रेडिट की मान्यता सुनिश्चित होती है।
  - पर्यावरण अखंडता
  - COP26 की अनुच्छेद 6 नियम पुस्तिका पर्यावरण अखंडता पर बल देती है, जो वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को कम करने वाले कम गुणवत्ता वाले क्रेडिट को रोकती है।
  - भारत द्वारा इन दिशा-निर्देशों का सक्रिय रूप से पालन करने से उसके बाजार की विश्वसनीयता मजबूत होती है।

## वैश्विक जलवायु कार्रवाई के लिए निहितार्थ

- **निष्पक्षता और समानता:** भारत की प्रवृत्ति जलवायु कार्रवाई में समानता और निष्पक्षता के सिद्धांत को रेखांकित करता है। विकासशील देशों को विकसित देशों से ऐतिहासिक उत्सर्जन के कारण होने वाले जलवायु परिवर्तन की लागत का भार नहीं उठाना चाहिए।
- **जलवायु कार्रवाई में तेजी:** विकासशील देशों के लिए महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई योजनाओं को लागू करने और कम कार्बन अर्थव्यवस्थाओं में संक्रमण के लिए पर्याप्त जलवायु वित्त आवश्यक है।
- **भू-राजनीतिक महत्व:** भारत की स्थिति जलवायु कूटनीति में वैश्विक नेता के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करती है और बहुपक्षवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करती है।
- **वैश्विक सहयोग:** COP29 और भविष्य की जलवायु वार्ताओं की सफलता विकसित देशों की अपनी वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने और विकासशील देशों की जलवायु आकांक्षाओं का समर्थन करने की इच्छा पर निर्भर करती है।

## संभावित चुनौतियाँ और अवसर

- **वार्ता की गतिशीलता:** वार्ता जटिल है, जिसमें विविध हित और प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताएँ हैं। भारत को अपनी स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए अन्य विकासशील देशों के साथ मजबूत गठबंधन बनाने की आवश्यकता होगी।
- **घरेलू प्राथमिकताएँ:** जलवायु कार्रवाई को घरेलू विकास प्राथमिकताओं के साथ संतुलित करना भारत के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती होगी।
- **कार्बन बाजारों का लाभ उठाना:** भारत जलवायु वित्त को आकर्षित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने कार्बन बाजार का लाभ उठा सकता है।
- **तकनीकी नवाचार:** स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और ऊर्जा दक्षता में निवेश करने से भारत को अपने कार्बन पदचिह्न को कम करने और नए आर्थिक अवसर बनाने में सहायता मिल सकती है।

## जलवायु वित्त में भारत के लिए आगे की राह

- **कार्बन बाजार को मजबूत करना:** भारत को अपने कार्बन बाजार को परिष्कृत करना जारी रखना चाहिए, मजबूत विनियमन, पारदर्शिता और अंतर्राष्ट्रीय सरेखण सुनिश्चित करना चाहिए।
- **हरित वित्त को बढ़ावा देना:** कर प्रोत्साहन, सब्सिडी और हरित बांड सहित हरित वित्त को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक ढांचा विकसित करना।
- **बहुपक्षीय संस्थाओं को मजबूत करना:** जलवायु वित्त जुटाने की उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों के सुधार और सुदृढीकरण का समर्थन करना।
- **दक्षिण-दक्षिण सहयोग:** अनुभव, प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग करना।
- **अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी हस्तांतरण:** विकसित देशों से विकासशील देशों में स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करना।
- **संस्थाओं के लिए क्षमता निर्माण:** जलवायु नीतियों और परियोजनाओं को डिजाइन और कार्यान्वित करने के लिए सरकारी संस्थानों की क्षमता को मजबूत करना।
- **जोखिम कम करना:** कार्बन क्रेडिट जारी करने और लेनदेन पर नज़र रखने के लिए एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री स्थापित करना।
  - मजबूत सत्यापन प्रोटोकॉल के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड और अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार संघ (IETA) जैसे वैश्विक मानकों के साथ सरेखित करें।

- **नियमित ऑडिट:** ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) द्वारा अनुमोदित ऑडिटर द्वारा स्वतंत्र ऑडिट परियोजनाओं को मान्य कर सकते हैं, जिससे उत्सर्जन में कमी की विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सकती है।

### प्रमुख जलवायु वित्त तंत्र

#### वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF):

- **स्थापना:** 1991
- **उद्देश्य:** जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और भूमि क्षरण सहित वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करना।
- **जलवायु वित्त में भूमिका:** जलवायु शमन और अनुकूलन परियोजनाओं के लिए विकासशील देशों को अनुदान और रियायती ऋण प्रदान करता है।

#### हरित जलवायु कोष (GCF):

- **स्थापना:** 2010
- **उद्देश्य:** विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का प्रत्युत्तर देने के उनके प्रयासों में सहायता करना, विशेष रूप से कम उत्सर्जन और जलवायु-लचीले विकास मार्गों में निवेश करके।
- **जलवायु वित्त में भूमिका:** जलवायु से संबंधित परियोजनाओं के लिए विकासशील देशों को अनुदान और ऋण प्रदान करता है।

#### नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (NCQG):

- **वार्ता के तहत:** \$100 बिलियन वार्षिक जलवायु वित्त लक्ष्य को प्रतिस्थापित करने के लिए एक प्रस्तावित वित्तीय लक्ष्य।
- **उद्देश्य:** विकासशील देशों को विशेष रूप से अनुकूलन और हानि एवं क्षति के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- **जलवायु वित्त में भूमिका:** NCQG का लक्ष्य पिछले लक्ष्य की तुलना में काफी अधिक जलवायु वित्त एकत्रित करना है।



### दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

- प्रश्न.** वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में जलवायु वित्त की भूमिका पर चर्चा करें, जिसमें भारत के कार्बन क्रेडिट ढांचे पर विशेष बल दिया गया है। भारत के कार्बन बाजार को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने में चुनौतियों और अवसरों पर प्रकाश डालें।